

# INDEX

**Criteria:** 06

**Key Indicator:** 6.2 Strategy Development and Deployment

**Metric No:** 6.2.2

**Metric Name:** *The functioning of the institutional bodies is effective and efficient as visible from policies, administrative setup, appointment and service rules, procedures, etc.*

S.No.	Particulars of Document	Annexure	Page No.
01	Post Sanction Order	A-01	16-22
02	Guest Lecturer posting Ordinance	A-02	23-34
03	Seat for Allocation and for Admission	A-03	35-37
04	Transfer Policy & Academic Calendar	A-04	38-50

A-01

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर  
email : higher-education@cg.gov.in

// आदेश //

12 3 MAR 2022

कमांक एफ 3-52/2019/38-1 ::


नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक

राज्य शासन एतद्वारा शासकीय महाविद्यालयों हेतु कुल 268 पदों के सृजन की सहमति प्रदान की जाती है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स	पद संख्या
1	चौकीदार	लेवल-01	127
2	स्वच्छक (अंशकालीन)	कलेक्टर दर	141
	योग		268

2/ निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों में चौकीदार के पद स्वीकृत किये जाते हैं :-

क्र.	मांग संख्या	जिला	महाविद्यालय का नाम	पद संख्या
1	44	रायपुर	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर	1
2	44	रायपुर	शासकीय महाविद्यालय, नवापारा गोबरा	1
3	44	रायपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बीरगांव	1
4	44	रायपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, खरोरा	1
5	44	रायपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, भाटागांव	1
6	44	रायपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, गुडियारी	1
7	44	रायपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, समोदा	1
8	44	बलौदाबाजार	शासकीय नवीन (विधि) महाविद्यालय भाटापारा	1
9	44	बलौदाबाजार	शासकीय नवीन महाविद्यालय वटगन	1
10	44	बलौदाबाजार	शासकीय नवीन महाविद्यालय मोपका निपनिया	1
11	44	बलौदाबाजार	शासकीय नवीन महाविद्यालय सोनाखान	1
12	44	गरियाबंद	शासकीय महाविद्यालय, देवभोग	1
13	44	महासमुन्द	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुन्द	1
14	44	महासमुन्द	शासकीय नवीन महाविद्यालय बलौदा जि. महासमुन्द	1
15	44	महासमुन्द	शासकीय नवीन महाविद्यालय चिरको	1
16	44	महासमुन्द	शासकीय नवीन महाविद्यालय तेन्दुकोना	1
17	44	महासमुन्द	शासकीय नवीन महाविद्यालय पिरदा	1
18	44	धमतरी	शासकीय महाविद्यालय, भखारा	1
19	44	धमतरी	शासकीय नवीन महाविद्यालय मगरलोड	1
20	44	धमतरी	शासकीय नवीन महाविद्यालय सिलौटी	1



//2//

21	44	धमतरी	शासकीय नवीन महाविद्यालय आगदी	1
22	44	दुर्ग	शासकीय नवीन महाविद्यालय, जामगांव(आर)	1
23	44	दुर्ग	शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी जिला-दुर्ग	1
24	44	दुर्ग	शासकीय नवीन महाविद्यालय खुर्सीपार, भिलाई	1
25	44	दुर्ग	शासकीय नवीन महाविद्यालय मचांदुर	1
26	44	दुर्ग	शासकीय नवीन महाविद्यालय जामुल	1
27	44	बेमेतरा	शासकीय महाविद्यालय, बेरला	1
28	44	बेमेतरा	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बेमेतरा	1
29	44	बेमेतरा	शासकीय नवीन महाविद्यालय परपोडी	1
30	44	बालोद	शासकीय महाविद्यालय, गुरुर	1
31	44	बालोद	शासकीय महाविद्यालय, खेरथा	1
32	44	बालोद	शासकीय नवीन महाविद्यालय, अरमरीकला	1
33	44	बालोद	शासकीय नवीन महाविद्यालय बेलोदी जि. बालोद	1
34	44	बालोद	शासकीय नवीन महाविद्यालय माहुद (बी)	1
35	44	राजनांदगांव	शासकीय नवीन महाविद्यालय साल्हेवारा, जिला-राजनांदगांव	1
36	44	राजनांदगांव	शासकीय नवीन महाविद्यालय टेलकाडीह	1
37	44	कबीरधाम	शासकीय राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय, कबीरधाम	1
38	44	कबीरधाम	शासकीय महाविद्यालय, बोडला	1
39	44	कबीरधाम	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पण्डातराई	1
40	44	कबीरधाम	शासकीय नवीन महाविद्यालय पिपरिया जिला-कबीरधाम	1
41	44	कबीरधाम	शासकीय नवीन महाविद्यालय कुईकुकुदुर	1
42	44	कबीरधाम	शासकीय नवीन महाविद्यालय झलमला	1
43	44	मुंगेली	शासकीय महाविद्यालय, सरगांव	1
44	44	मुंगेली	शासकीय नवीन महाविद्यालय कोतरी	1
45	44	मुंगेली	शासकीय महाविद्यालय अमोरा जिला मुंगेली	1
46	44	जांजगीर चांपा	शासकीय कांती कुमार भारतीय महाविद्यालय, सक्ती	1
47	44	जांजगीर चांपा	शासकीय महाविद्यालय, बलौदा	1
48	44	जांजगीर चांपा	शासकीय नवीन महाविद्यालय चन्द्रपुर जिला जांजगीर	1
49	44	जांजगीर चांपा	शासकीय नवीन महाविद्यालय बिरा जिला जांजगीर	1
50	44	जांजगीर चांपा	शासकीय नवीन महाविद्यालय नगरदा जिला जांजगीर	1
51	44	कोरवा	शासकीय महाविद्यालय, दीपका	1
52	44	रायगढ़	शासकीय संत गहिरा गुरु रामेश्वर महाविद्यालय, लैलूंगा	1
53	44	रायगढ़	शासकीय महाविद्यालय, धरमजयगढ़	1




//10//

11	64	जांजगीर चांपा	शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागढ़ जिला जांजगीर	1
12	64	सूरजपुर	शासकीय महाविद्यालय, रामानुजनगर	1
13	64	सूरजपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, ओडगी	1
कुल :-				13
महायोग :-				141

- 4/ उपरोक्त पद मांग संख्या-44-उच्च शिक्षा-2202-सामान्य शिक्षा-(03)-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-0101-राज्य आयोजना सामान्य-(103)-सरकारी कॉलेज और संस्थायें-798-कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना मद, मांग संख्या-41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-2202-सामान्य शिक्षा-(03)-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-(103)-सरकारी कॉलेज और संस्थायें-798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद एवं मांग संख्या-64-अनुसूचित जाति उपयोजना-2202-सामान्य शिक्षा-(03)-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-0103-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-(103)-सरकारी कॉलेज और संस्थायें-798-कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजना मद अंतर्गत विकलनीय होगा।
- 5/ उपरोक्त सहमति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2022-38-00191, दिनांक 21.03.2022 अनुसार दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,  
तथा आदेशानुसार,

  
( ए.आर.खान )  
अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 12 3 MAR 2022

पृ. क्रमांक एफ 3-52/2019/38-1

प्रतिलिपि :-

- माननीय मंत्री जी के विशेष सहायक, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
  - निज सहायक, सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
  - आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय से प्राप्त ज्ञापन क्रमांक 244/11/आउशि/योजना/2020-21, दिनांक 28.01.2022 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
  - संबंधित कलेक्टर, जिला-.....
  - संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-.....
  - संबंधित प्राचार्य.....
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. आर्डर फोल्डर।

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग



कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय  
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

176  
02-09-08

क्रमांक 2299 / आजशि/व-यो./08  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 25/8/08

प्राचार्य,  
शासकीय महाविद्यालय,  
खेरथा, जिला - दुर्ग (छ.ग.)।

विषय :- खेरथा, जिला - दुर्ग में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने बाबत।  
संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ - 5 - 48/2008/38-1 रायपुर  
दिनांक 25.08.2008

राज्य शासन के सदरभित आदेशानुसार खेरथा, जिला - दुर्ग में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय धातु, शैक्षणिक सत्र 2008 - 09 में प्रारंभ करने तथा कुल 19 अस्थाई पदों के सृजन करने की स्वीकृति वित्त विभाग की यू. ओ. क्रमांक 378/22196/वित्त विभाग/बजट - 3/2008 दिनांक 18.08.2008 द्वारा सहमति प्रदान की गई है। उक्त पदों का वर्गीकृत विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
<b>शैक्षणिक पद</b>			
1.	प्राचार्य, स्नातक	01	12000 - 18300
2.	सहायक प्राध्यापक		
	(अ) विज्ञान संकाय		
	(रसायन, प्राणीशास्त्र, वनस्पति, भौतिक शास्त्र)	04	8000 - 13500
	(ब) वाणिज्य संकाय	01	8000 - 13500
	(स) कला संकाय		
	(हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र)	05	8000 - 13500
<b>अशैक्षणिक पद</b>			
3.	प्रयोगशाला तकनीशियन	03	4000 - 6000
4.	सहायक ग्रेड - 1	01	4500 - 7000
5.	सहायक ग्रेड - 2	01	4000 - 6000
6.	सहायक ग्रेड - 3	01	3050 - 4590
7.	भृत्य	02	2550 - 3200
योग :-		19	

*Handwritten signature/initials*

2. उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2008 - 09 में मांग संख्या-44-उच्च शिक्षा - 2202-सामान्य शिक्षा - 03-विश्वविद्यालय उांय उच्च शिक्षा, - 103 - सरकारी कॉलेज और संस्थाएं - (0101) - राज्य आयोजना (सामान्य) - (798) - कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय, आयोजना मद के अन्तर्गत वित्तनीय है।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)



कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय  
ब्लाक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन  
नया रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक 383 / 249 / आउशि / योजना / 15

नया रायपुर दिनांक 15 / 02 / 2016

प्रति,

प्राचार्य,

सर्व संबंधित महाविद्यालय  
छत्तीसगढ़।

- विषय :- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला परिचारक के पदों के सृजन की स्वीकृति बबत्।  
संदर्भ :- छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3-36 / 2015 / 38-1 दिनांक 27.01.2016

—00—


उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला परिचारक (वितनमान 5200-20200 ग्रेड पे 1800) के कुल 150 पदों की सृजन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त आदेश के आधार पर महाविद्यालयों में उनके नाम के सम्मुख अंकित संख्या में प्रयोगशाला परिचारक (वितनमान 5200-20200 ग्रेड पे 1800) के पदों का सृजन किया जाता है, विवरण निम्नानुसार है :-

■ मांग संख्या - 44

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पद संख्या
1	शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा जिला रायपुर	04
2	शासकीय महाविद्यालय, दीपका जिला कोरबा	03
3	शासकीय महाविद्यालय, पिपरिया जिला कबीरघाम	03
4	शासकीय महाविद्यालय, साल्हेवारा जिला राजनांदगांव	03
5	शासकीय महाविद्यालय, कोतरी जिला मुंगेली	03
6	शासकीय महाविद्यालय, बोड़ला जिला कबीरघाम	03
7	शासकीय महाविद्यालय, पण्डतराई जिला कबीरघाम	03
8	शासकीय महाविद्यालय, जोधी जिला रायगढ़	03
9	शासकीय महाविद्यालय, वरमकेला जिला रायगढ़	03
10	शासकीय महाविद्यालय, पुसोर जिला रायगढ़	03
11	शासकीय महाविद्यालय, सीपत जिला यिलासपुर	02

क्रमशः .....2

D:\Planing\Planing 14-15\Order Lab Att.2.Doc



7

D:\Planing\Planing 14-15\Order Lab Att.2.Doc



क्र.	महाविद्यालय का नाम	पद संख्या
12	शासकीय कन्या महाविद्यालय, कर्वधा जिला कबीरघाम	03
13	शासकीय महाविद्यालय, बेरला जिला बेमेतरा	03
14	शासकीय महाविद्यालय, जामगांव आर जिला दुर्ग	03
15	शासकीय महाविद्यालय, धरमजयगढ़ जिला रायगढ़	02
16	शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला जिला बालोद	02
17	शासकीय शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय, यिलासपुर जिला यिलासपुर	02
18	शासकीय महाविद्यालय, बोरी जिला दुर्ग	02
19	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा जिला बेमेतरा	02
20	शासकीय कन्या महाविद्यालय, महासमुन्द, जिला महासमुन्द	01
21	शासकीय महाविद्यालय, बलौदा जिला जांजगीर चांपा	02
22	शासकीय महाविद्यालय, बलौदा जिला महासमुन्द	02
23	शासकीय महाविद्यालय, मगरलोड जिला धमतरी	02
24	शासकीय महाविद्यालय, सरगांव जिला मुंगेली	01
25	शासकीय महाविद्यालय, गुरुर जिला बालोद	02
26	शासकीय महाविद्यालय, बेलोदी जिला बालोद	02
27	शासकीय नवीन महाविद्यालय, खुर्सीपार जिला दुर्ग	04
28	शासकीय इंदिरागांधी महाविद्यालय, वैशालीनगर जिला दुर्ग	02
29	शासकीय महाविद्यालय, अभनपुर जिला रायपुर	01
30	शासकीय महाविद्यालय, खेरथा जिला बालोद	02
31	शासकीय महाविद्यालय, देवभाग जिला गरियाबंद	02
32	शासकीय महाविद्यालय, सक्ती जिला जांजगीर चांपा	02
33	शासकीय महाविद्यालय, लालबहादुरनगर जिला राजनांदगांव	01
34	शासकीय महाविद्यालय, लैलूंगा जिला रायगढ़	01
35	शासकीय महाविद्यालय, भखारा जिला धमतरी	02
36	शासकीय महाविद्यालय, घुमका जिला राजनांदगांव	01

क्रमशः .....3

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पद संख्या
86	शासकीय महाविद्यालय, मंगचुआ जिला बालोद	01
87	शासकीय नवीन विज्ञान महाविद्यालय, अंबिकापुर जिला सरगुजा	01
88	शासकीय महाविद्यालय, कांसायेल जिला जशपुर	01
	योग -	150

उक्त व्यय मांग संख्या 41 मुख्य शीर्ष उच्च शिक्षा -2202-सामान्य शिक्षा-(03)-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा- 0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना - (103)-सरकारी कॉलेज और संस्थान- 798-कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

2/ यह स्वीकृत वित्त विभाग के यू0 ओ0 कमांक एफ 2015-38-000571 /वित्त /ब-3/चार, रायपुर दिनांक 14/07/2015 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी की जा रही है।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :- छ.ग.शासन का संदर्भित पत्र।

*J. Bapat*

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नया रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /249/आउशि/योजना/15

नया रायपुर दिनांक /02/2016

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, छ0ग0शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
  2. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
  3. सचिव, छ0ग0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय नया रायपुर की ओर उनके यू0ओ0 क्र. एफ 2015-38-000571 /वित्त/ब-3/चार, रायपुर दिनांक 14/07/2015 के संदर्भ में।
  4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर।
  5. अवर सचिव, छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर (छ0ग0)
  6. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर,।
  7. संबंधित जिला कलेक्टर, (छ.ग.)।
  8. क्षेत्रीय अपर संचालक, बिलासपुर/अम्बिकापुर/जगदलपुर (छ.ग.)
  9. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी (छ0ग0)।
  10. संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर।
  11. शाखा प्रभारी अराजपत्रित स्थापना शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय।
- ..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नया रायपुर (छ.ग.)



A-02



छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
"मंत्रालय"

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,  
जिला-रायपुर

// आदेश //

14 FEB 2022

नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक

क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 :: राज्यशासन एतद्वारा प्रस्ताव अनुसार अतिथि व्याख्याताओं को कॉलम-4 अनुसार निम्नानुसार मानदेय वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्र.	विवरण	पूर्व मानदेय	का स्वीकृत मानदेय
1	2	3	4
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	200/-	300/-
2	4 कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	800/-	1200/-
3	उपर्युक्त विन्दु 1 एवं 2 के अनुसार प्रतिमाह अधिकतम मानदेय	20800/-	31200/-

2/ उक्त सहमति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक एफ-2021-38-00027, दि 29.01.2022 द्वारा प्राप्त सहमति अनुसार दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,  
तथा आदेशानुसार,

( ए.आर.खान )  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

अटल नगर, रायपुर, दिनांक


पृ. क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1  
प्रतिलिपि :-

14 FEB 2022

- माननीय मंत्री जी के विशेष सहायक, उच्च शिक्षा विभाग,
- निज सहायक, सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 787/144/आउशि/राज.स्था/2021, दिनांक 02.11.2021 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- आर्डर फोल्डर।

( ए.आर.खान )  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग



24

## कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

ब्लॉक सी-२० द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,  
नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 254 / 243 / आउशि / अतिथि व्याख्याता / 2014

रायपुर, दिनांक 18/7/2014

प्रति,

उपरोक्त  
छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,  
छत्तीसगढ़

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2014-15 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों पर अतिथि व्याख्याताओं  
का भर्तियोग्यता विषयक ।

संदर्भ :- अतिथि उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4-2/2013/38-1 रायपुर, दिनांक  
03.07.2014

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के छायाप्रति एवं अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति संबंधी निर्देश  
संलग्न प्रेषित हैं ।

उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 2644/एफ 4-7/2012/38-1 रायपुर, दिनांक 24.07.2012 का  
पत्र क्रमांक 3420/एफ 4-2/2013/38-1 दिनांक 16.07.2013 में जारी किये गये दिशा निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र  
2014-15 में रिक्त शिक्षकीय पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि अध्यापन  
व्यवस्था प्रभावित न हो सके । अतिथि व्याख्याता नियुक्ति हेतु संलग्न दिशा निर्देशानुसार  
सम्बन्धित प्रक्रिया पूर्णकर नियुक्ति किए गये अतिथि व्याख्याताओं का नाम एवं विषय की जानकारी 15 दिवस में  
अद्योक्त संलग्न प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

(आवृत्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुसूचित)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल)  
संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा नया रायपुर  
(छ.ग.)



6.2.2

25

## कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(फोन - 0771-2636413 फैक्स - 0771-2263412)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 1037/788 / आउशि / राज.स्था / 2022  
प्रति,

नया रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19/12/2022

सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन,  
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,  
अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- अतिथि व्याख्याताओं की तीन सूत्रीय मांग के संबंध में ।  
संदर्भ :- 1. उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक-एफ-3-32/2022/38-1 दिनांक 10.08.2022  
2. श्री लव कुमार वर्मा, अध्यक्ष, महाविद्यालयीन अतिथि व्याख्याता समूह छत्तीसगढ़ का पत्र  
क्रमांक-क्यू/स्था/2022 दिनांक 24.11.2022

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री निवास, एवं  
मुख्यमंत्री सचिवालय तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त पत्रों में अतिथि व्याख्याताओं के तीन मांगों को पूरा करने एवं  
2011-12 के नियमों में बदलाव के संबंध में पैरा 01 एवं 02 में चाहे अनुसार नियमानुसार परीक्षण कर अभिमत  
सहित प्रस्ताव चाहा गया था ।

उक्त के संबंध में लेख है कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं  
द्वारा माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री जनदर्शन, माननीय उच्च न्यायालय, विभाग आदि विभिन्न माध्यमों  
से अतिथि व्याख्याताओं की निम्नलिखित तीन सूत्रीय मांगों के संबंध में मांग पत्र प्रेषित किया गया है:-

1. नियमित सहायक प्राध्यापक भर्ती से प्रभावित (सेवा से हटाये गये अतिथि व्याख्याता) अतिथि व्याख्याताओं  
की पुनर्नियुक्ति ।
2. अतिथि व्याख्याताओं के लिए 12 माह की पूर्ण कालिक अवधि तक कार्य के साथ एकमुश्त वेतन की  
व्यवस्था ।
3. सीधी भर्ती/स्थानांतरण/पदोन्नति से नियमित सहायक प्राध्यापक की पदस्थापना होने पर अतिथि  
व्याख्याताओं को जॉब सुरक्षा ।


उक्त के संबंध में लेख है कि-

1. पूर्व में कार्यालयीन आदेश क्रमांक-785/144/आउशि/राज.स्था/2021 दिनांक 30.10.2021 द्वारा अतिथि  
व्याख्याताओं की मांगों के संबंधित में प्रेषित मांग पत्र के परीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया था ।
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक-787/144/आउशि/राज.स्था/2021 दिनांक 02.11.2021 द्वारा अतिथि  
व्याख्याताओं के तीन मांगों के संबंध में समिति द्वारा परीक्षण उपरांत प्रतिवेदन उच्च शिक्षा विभाग को  
प्रेषित किया गया था ।
3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक-1060/126/आउशि/राज./2022 दिनांक 11.01.2022 द्वारा सीधी  
भीर्ती/स्थानांतरण/पदोन्नति से नियमित सहायक प्राध्यापक की पदस्थापना होने पर प्रभावित होने एवं  
शिक्षण का लंबा अनुभव रखने वाले अतिथि व्याख्याताओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ  
अनुभव के आधार पर अन्यत्र रिक्त पदों के विरुद्ध कार्य का अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से पूर्व  
प्रसारित कंडिका-7 के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था ।



4. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की तीन सूत्रीय मांगों के संबंध में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	मांग	की गई कार्यवाही																
1	नियमित सहायक प्राध्यापक भर्ती से प्रभावित (सेवा से हटाये गये अतिथि व्याख्याता) अतिथि व्याख्याताओं की पुनर्नियुक्ति।	<p>उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक-एफ-3-54/2022/38-1 दिनांक 07.09.2022 द्वारा जिन महाविद्यालयों में विगत वर्षों से कार्यरत रह चुके अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुये न्यायालय निर्देशों के अधीन कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।</p> <p>इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक-एफ-3-54/2022/38-1 दिनांक 07.09.2022 द्वारा नियमित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति/स्थानांतरण से प्रभावित होने वाले अतिथि व्याख्याताओं के लिए अतिथि व्याख्याताओं की चयन प्रक्रिया संबंधी पूर्व निर्धारित मापदण्ड में शासकीय महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक (एक शैक्षणिक सत्र में 05 अंक) निर्धारित किया गया है।</p>																
2	अतिथि व्याख्याताओं के लिए 12 माह की पूर्ण कालिक अवधि तक कार्य के साथ एकमुश्त वेतन की व्यवस्था।	<p>उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक-एफ-3-4/2022/38-1 दिनांक 29.08.2022 द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के विरुद्ध स्वीकृत मापदण्डों एवं दरों पर अतिथि व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन की व्यवस्था हेतु गत वर्ष की भांति इस शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अकादमिक कैलेंडर अनुसार अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति की सहमति प्रदान की गई है।</p> <p>पूर्व में शासकीय महाविद्यालयों में केवल सहायक प्राध्यापकों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की जा रही थी। उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक-एफ-4-2/2013/38-1 दिनांक 20.12.2016 द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापक पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं की सेवा प्राप्त करने की सहमति प्रदान की गई है।</p> <p>इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु प्रतिवर्ष निरंतर सहमति प्रदान की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-3-32/38-1 दिनांक 14.02.2022 द्वारा अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय में प्रतिमाह अधिकतम राशि रु. 20800/- से राशि रु. 31200/- की वृद्धि स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की गयी है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र</th> <th>विवरण</th> <th>पूर्व का मानदेय</th> <th>प्रस्तावित मानदेय</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए</td> <td>200/-</td> <td>300/-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4 कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय</td> <td>800/-</td> <td>1200/-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>उपर्युक्त बिन्दु 1 एवं 2 के अनुसार प्रतिमाह अधिकतम मानदेय</td> <td>20800/-</td> <td>31200/-</td> </tr> </tbody> </table>	क्र	विवरण	पूर्व का मानदेय	प्रस्तावित मानदेय	1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	200/-	300/-	2	4 कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	800/-	1200/-	3	उपर्युक्त बिन्दु 1 एवं 2 के अनुसार प्रतिमाह अधिकतम मानदेय	20800/-	31200/-
क्र	विवरण	पूर्व का मानदेय	प्रस्तावित मानदेय															
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	200/-	300/-															
2	4 कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	800/-	1200/-															
3	उपर्युक्त बिन्दु 1 एवं 2 के अनुसार प्रतिमाह अधिकतम मानदेय	20800/-	31200/-															



## कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लाक-03, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, (छ.ग.)  
(फोन-0771-2263413 फैक्स-0771-2263412)  
e-mail:highereducation.cg.gmail.com, website:highereducation.cg.gov.in

क्रमांक 535/आउशि/राज.स्था./2022

अटल नगर, दिनांक 29/08/2022

प्रति,

प्राचार्य  
समस्त शासकीय महाविद्यालय  
छत्तीसगढ़।

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2022-23 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों (प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक) पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था बाबत।

संदर्भ:- अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्र. एफ 3-54/2022/38-1, नवा रायपुर, दिनांक 29.08.2022

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में रिक्त शिक्षकीय पदों (प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक) पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था कराये जाने हेतु वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर अनुमति प्रदान की गई है जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

उक्त संबंध में लेख है कि अतिथि व्याख्याताओं के चयन की प्रक्रिया पूर्व निर्देश क्रमांक 255/243/आउशि/अति.व्या./2014, दिनांक 18.07.2014 में संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः संशोधित चयन प्रक्रिया प्राप्त होने के उपरांत ही अतिथि व्याख्याता चयन हेतु विज्ञापन जारी किया जावे।

39/8  
(शारदा वर्मा)  
आयुक्त

उच्च शिक्षा संचालनालय,  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 536/आउशि/राज.स्था./2022  
प्रतिलिपि:-

अटल नगर, दिनांक 29/08/2022

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

39/8  
आयुक्त  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 3-54/2022/38-1

नया रायपुर, दिनांक 07/09/2022

प्रति,

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2022-23 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों (प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक) पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था बाबत।

---00---

राज्य शासन एतद्वारा प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के विरुद्ध, स्वीकृत मापदण्डों एवं दरों पर अतिथि व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन की व्यवस्था हेतु गत वर्ष की भांति इस शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति की सहमति इस विभाग की समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 29.08.2022 द्वारा प्रदान की गई है।

2/ शासकीय महाविद्यालय में रिक्त शिक्षकीय पदों पर अतिथि व्याख्याताओं के चयन की प्रक्रिया संबंधी पूर्व निर्धारित मापदण्डों की कंडिका-7 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

कंडिका-7 में पूर्व निर्धारित मापदण्ड		वर्तमान व्यवस्था	
चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड		चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड	
(एक)	मेरिट लिस्ट बनाने के लिए अधिकतम 100 मेरिट अंक रहेंगे और इसका मापदंड निम्नानुसार होगा:-	(एक)	मेरिट लिस्ट बनाने के लिए अधिकतम 130 मेरिट अंक रहेंगे और इसका मापदंड निम्नानुसार होगा:-
(क)	पी.एच.डी. तथा नेट/सेट एवं एम.फिल. के लिए 50 मेरिट अंक	(क)	पी.एच.डी. तथा नेट/सेट एवं एम.फिल. के लिए 50 मेरिट अंक
(ख)	पी.एच.डी. के लिए 25 मेरिट अंक	(ख)	पी.एच.डी. के लिए 25 मेरिट अंक
(ग)	नेट/सेट के लिए 20 मेरिट अंक	(ग)	नेट/सेट के लिए 20 मेरिट अंक
(घ)	एम.फिल. 05 मेरिट अंक	(घ)	एम.फिल. 05 मेरिट अंक



निरंतर-2-

28

29

/ / 2 / /			
(दो)	स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांकों के लिए (अधिकतम)- 50 मेरिट अंक (55 के लिए 5 अंक, 56 से 100 प्रत्येक 01 प्रतिशत के लिए 01 अंक दिया जायेगा।)	(दो)	स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांकों के लिए (अधिकतम)-50 मेरिट अंक (55 के लिए 5 अंक, 56 से 100 प्रत्येक 01 प्रतिशत के लिए 01 अंक दिया जायेगा।)
		(तीन)	शासकीय महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन अनुभव के लिये (अधिकतम) 30 मेरिट अंक
		(क)	एक शैक्षणिक सत्र में (न्यूनतम 5 माह से कम नहीं) 05 मेरिट अंक

3/ जिन महाविद्यालयों में विगत सत्रों में कार्यरत रह चुके अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा कोई निर्देश दिया गया है, उन अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दिये गये निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुये न्यायालय निर्देशों के अधीन की जाये।

4/ कृपया अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के संबंध में उपरोक्त व्यवस्था का पालन करना सुनिश्चित किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( आर.ए. निर्मलकर )

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पू. क्रमांक एफ 3-54/2022/38-1

नया रायपुर, दिनांक 07/09/2022

प्रतिलिपि :-

- 01 महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- 02 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- 03 समस्त संभागीय आयुक्त, (छ.ग.)
- 04 समस्त कलेक्टर, जिला .....
- 05 क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/रायपुर/दुर्ग (छ.ग.)



निरंतर-3-

// 3 //

- 06 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,  
 07 समस्त प्राचार्य, \_\_\_\_\_  
 08 समस्त जिला कोषालय अधिकारी, \_\_\_\_\_  
 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।  
 09 आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग



3	सीधी भीर्ती/स्थानांतरण/पदोन्नति से नियमित सहायक प्राध्यापक की पदस्थापना होने पर अतिथि व्याख्याताओं को जॉब सुरक्षा।	उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक-एफ-3-54/2022/38-1 दिनांक 07.09.2022 द्वारा नियमित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति/स्थानांतरण से प्रभावित होने वाले अतिथि व्याख्याताओं के लिए चयन प्रक्रिया संबंधी पूर्व निर्धारित मापदण्ड में शासकीय महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक (एक शैक्षणिक सत्र में 05 अंक) निर्धारित किया गया है।
---	--	---

कृपया संदर्भित पत्र के माध्यम से विभिन्न माध्यमों से प्राप्त अतिथि व्याख्याताओं की तीन सूत्रीय मांगों के संबंध में मांग पत्र एवं की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय,

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक. 19.12.2022

पृ.क्रमांक 1038/788/आउशि/राज.स्था./2022

प्रतिलिपि:-

- श्री लव कुमार वर्मा, अध्यक्ष, महाविद्यालयीन अतिथि व्याख्याता समूह छत्तीसगढ़, पता-हाउस क-591 एसईसीएल मानिकपुर कोरबा (छ.ग.)।
- संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जनदर्शन/जनचौपाल/जनशिकायत क्रमांक-.....।
- संबंधित अतिथि व्याख्याता.....।
- प्रभारी अधिकारी, आई.टी.सेल, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)। कृपया विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।  
..... की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय,

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)



कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

(फोन - 0771-2636413 फैक्स - 0771-2263412)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

कमांक 563 / 126 / आउशि / राज.स्था. / 2022  
प्रति,

नया रायपुर, अटल नगर, दिनांक 08/09/2022

प्राचार्य,  
समस्त शासकीय महाविद्यालय,  
छत्तीसगढ़।

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2022-23 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों (प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक) पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था बाबत।

संदर्भ :- 1 उच्च शिक्षा विभाग का आदेश कमांक-एफ-3-54 / 2022 / 38-1 दिनांक 29.08.2022 एवं पत्र कमांक-एफ-3-54 / 2022 / 38-1 दिनांक 07.09.2022  
2 कार्यालयीन पत्र कमांक-535 / आउशि / राज.स्था. / 2022 दिनांक 29.08.2022

—00—

विषयान्तर्गत सदमित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि विभागीय समसख्यक पत्र कमांक-एफ-3-54 / 2022 / 38-1 दिनांक 29.08.2022 द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 रिक्त शिक्षकीय पदों (प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक) पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन की व्यवस्था कराये जाने हेतु वित्त विभाग से सहमति के आधार पर अनुमति प्रदान की गई है तथा विभागीय समसख्यक पत्र कमांक-एफ-3-54 / 2022 / 38-1 दिनांक 07.09.2022 द्वारा शासकीय महाविद्यालय में रिक्त शिक्षकीय पदों पर अतिथि व्याख्याताओं के चयन की प्रक्रिया संबंधी पूर्व निर्धारित मापदण्डों की कड़िका-7 में संशोधन किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरूप शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 564 / 126 / आउशि / राज.स्था. / 2022  
प्रतिलिपि-

नया रायपुर, अटल नगर दिनांक 08/09/2022

- 1 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 2 अपर संचालक क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर/दुर्ग/विलासपुर/जगदलपुर/अम्बिकापुर (छ.ग.)।
- 3 समस्त जिला कोषालय अधिकारी।

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
नया रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

No. L-201	21	759
AD	JDI	DD
Section	Sib. KUL	
Date	7 SEP 2022 C.H.E.	

क्रमांक एफ 3-54 / 2022 / 38-1  
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2022

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2022-23 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों (प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक) पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था बाबत।

—00—

राज्य शासन एतद्वारा प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के विरुद्ध, स्वीकृत मापदण्डों एवं दरों पर अतिथि व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन की व्यवस्था हेतु गत वर्ष की भांती इस शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति की सहमति प्रदान करता है।

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्र. एफ 2022-38-00266 दिनांक 25.08.2022 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( आर.ए. निर्मलकर )

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3-54 / 2022 / 38-1  
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2022

- 01 सचिव, मुख्यमंत्री, छ.ग. मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर अटल नगर,
- 02 सचिव, छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय नया रायपुर, अटल नगर की ओर कम्प्यूटर एफ - 2022-38-00266 दिनांक 25.08.2022
- 03 महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- 04 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 05 समस्त संभागीय आयुक्त, (छ.ग.)



निरन्तर —2—


// 2 //

34

- 06 समस्त कलेक्टर, जिला .....
- 07 क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/रायपुर/दुर्ग (छ.ग.)
- 08 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
- 09 संबंधित प्राचार्य, -----
- 10 समस्त जिला कोषालय अधिकारी, (छ.ग.)
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 11 आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग



A-03



छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर  
email : higher-education@cg.gov.in

-- 0 --

कमांक एफ 3-56/2022/38-1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10/08/2022  
प्रति,

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इंदावती भवन,  
नवा रायपुर, अटल नगर  
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 के लिये प्रवेश मार्गदर्शिका के कडिका 3.1 के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि हेतु स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

राज्य शासन, एतद् द्वारा, राज्य में संचालित शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 में प्रवेश मार्ग-दर्शिका की कडिका 3.1 के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में निम्नानुसार सीट वृद्धि करने की अनुमति दी जाती है :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/संकाय/विषय का नाम	संचालन का प्रकार	प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित सीट संख्या	वृद्धि हेतु मांग की गई सीट संख्या	सीट वृद्धि उपराल निर्धारित काल सीट
1	PANDIT DINDAYAL UPADHYAY ARTS AND SCIENCE GOVT. COLLEGE JAVANGA	बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	40	20	60
2	GOVT. COLLEGE BHOPALPATNAM	बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	60	40	100
3	DR. BHIMRAO AMBEDKAR GOVT. COLLEGE PAMGARH	बी.ए. बी.एससी. (गणित समूह) एम.ए. अंग्रेजी	शासन से शासन से शासन से	90 30 25	30 10 15	120 40 40
4	GOVERNMENT NAVEEN COLLEGE BHAIRAMGARH	एम.ए. राजनीतिशास्त्र बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से शासन से	30 60	10 20	40 80
5	NAYAK NITYANAND SAI GOVT. COLLEGE AARA	एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	शासन से	30	10	40
6	GOVT. DANVEER TULARAM P. G. COLLEGE UTAI. DIST. DURG. C.G.	बी.ए. बी.कॉम बी.एससी. (गणित समूह)	शासन से शासन से शासन से	225 100 95	25 30 25	250 130 120



11511

36

		एम.एससी. प्राणीशास्त्र	शासन से	35	15	50
		एम.एससी. गणित	स्ववित्तीय मद	35	15	50
		एम.ए. हिन्दी साहित्य	शासन से	60	10	70
		एम.ए. समाजशास्त्र	शासन से	60	10	70
		एम.ए. राजनीतिशास्त्र	शासन से	60	10	70
		बी.एससी. (कम्प्यूटर साईंस)	स्ववित्तीय मद	70	30	100
36	GOVT. J.M.P COLLEGE TAKHATPUR	एम.ए. राजनीतिशास्त्र	शासन से	20	10	30
		एम.ए. अर्थशास्त्र	जनभागीदारी मद	20	10	30
		एम.ए. समाजशास्त्र	जनभागीदारी मद	20	10	30
		एम.ए. हिन्दी साहित्य	शासन से	20	10	30
		एम.ए. इतिहास	शासन से	20	10	30
37	GOVIND SARANG GOVT. LAW COLLEGE BHATAPARA	बी.ए. एल.एल.बी.	शासन से	60	40	100
38	GOVT. DANTESHWARI P.G COLLEGE DANTEWADA	बी.ए. बी.एससी. (विज्ञान समूह) बी.एससी. (गणित समूह) बी.एससी. (कम्प्यूटर साईंस) बी.एससी. (सूचना प्रौद्योगिकी) एम.एससी. गणित एम.एससी. भौतिकशास्त्र एम.एससी. रसायनशास्त्र एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	शासन से शासन से शासन से शासन से शासन से शासन से शासन से शासन से जनभागीदारी मद	235 220 40 30 20 20 15 20 20	85 50 30 20 10 25 20 20	320 270 70 50 40 40 40 40
39	GOVT. VISHWANATH YADAV TAMASKER P.G.ARTS SCIENCE COLLEGE DURG	PG Diploma in Yoga & Philosophy	स्ववित्तीय मद	20	20	40
40	GOVT. COLLEGE SILPHILI	बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	60	20	80
41	GOVT. NAVEEN COLLEGE AMORA. DIST.. MUNGLI. C.G.	बी.ए. बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से शासन से	90 90	60 60	150 150
42	Lt. Pyarelal Kanwar Govt. College Bhaisma	बी.कॉम बी.एससी. (विज्ञान समूह) एम.ए. समाजशास्त्र	शासन से शासन से शासन से	45 60 25	15 20 15	60 80 40
		एम.कॉम. बी.ए.	शासन से शासन से	25 190	15 30	40 220
43	GOVT. COLLEGE KHERTHA	बी.ए. बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से शासन से	70 70	30 30	100 100



//7//

उपरोक्त शासकीय महाविद्यालयों को निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत सीट वृद्धि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक आदि की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी।
2. फर्नीचर तथा उपकरण कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्रोतों से वहन करना पड़ेगा।
3. भविष्य में किसी भी प्रकार का आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।
4. प्राचार्य द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से सीट वृद्धि उपरांत निर्धारित कुल सीट संख्या अनुसार संबंधिता प्राप्त किया जावेगा।
5. यह सीट वृद्धि का प्रस्ताव सत्र 2022-23 से प्रभावशील रहेगा।

(ए.अर.खान)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.कमांक एफ 3-56/2022/38-1

नवा रोयपुर अटल नगर, दिनांक /08/2022

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय की ओर उनके ज्ञापन कमांक 122/27/आउशि/ योजना/2022-23, दिनांक 19.07.2022 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित कलेक्टर, जिला ..... (छ.ग.)
3. संबंधित प्राचार्य.....  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित,
4. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग



A-04

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**:: मंत्रालय ::**  
**महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर**  
**जिला-रायपुर**

क्रमांक एफ 1-2/2022/एक/6 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 अगस्त, 2022  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त कलेक्टर,  
छत्तीसगढ़।

विषय:- स्थानांतरण नीति वर्ष, 2022.

—000—

राज्य शासन एतद्वारा पूर्व में जारी स्थानांतरण नीति को अधिक्रमित करते हुए वर्ष, 2022 हेतु निम्नानुसार स्थानांतरण नीति/प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

**1. जिला स्तर पर स्थानांतरण-**

1.1 दिनांक 16 अगस्त, 2022 से 10 सितम्बर, 2022 तक जिला स्तर के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के माननीय प्रभारी मंत्रीजी के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा किये जा सकेंगे और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त स्थानांतरण आदेश तदानुसार प्रसारित होंगे।

कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण किये जाने वाले पद जिला संवर्ग का है तथा स्थानांतरण करने का अधिकार जिला स्तर पर है।

1.2 स्थानांतरण प्रस्ताव, संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा विस्तृत परीक्षण उपरान्त तैयार किया जाकर कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री को प्रस्तुत किये जाएंगे और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त जिले के कलेक्टर द्वारा आदेश प्रसारित किये जाएंगे।

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम 10 प्रतिशत तक स्थानांतरण किये जा सकेंगे।

1.3 स्थानांतरण के समय ध्यान रखा जाए कि यदि अनुसूचित क्षेत्रों के शासकीय सेवक का गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने के प्रस्ताव है तो उसके एवजीदार का भी प्रस्ताव (जो गैर-अनुसूचित क्षेत्र से हो) अनिवार्यतः रखा जाए। आशय यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्रतिशत पद रिक्त है, शहरी क्षेत्रों में लगभग उसी के अनुरूप पद रिक्त रह सकें। ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि शहरी क्षेत्रों में लगभग सभी पद भरे हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रिक्तियाँ बनी रहें।

1



*[Handwritten Signature]*

- 1.4 जिन पदों एवं स्थानों पर अधिकारी/कर्मचारी का आधिक्य है, ऐसे स्थानों से स्थानांतरण न्यूनता (Deficit) वाले स्थान हेतु हो। किसी भी परिस्थिति में न्यूनता (Deficit) वाले स्थान से आधिक्य वाले स्थान में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा ताकि संतुलन बना रहे एवं कमी वाले क्षेत्रों में पदों की पूर्ति हो सके।
- 1.5 ऐसे शासकीय सेवक जो एक ही स्थान पर दिनांक 15 अगस्त, 2021 अथवा उससे पूर्व से कार्यरत हों, केवल उन्ही के स्थानांतरण किये जायेंगे।
- 1.6 दिव्यांग शासकीय सेवकों की पदस्थापना यथासंभव आवागमन की दृष्टि से सुविधाजनक स्थान पर की जाए।
- 1.7 जिला स्तर पर स्थानांतरण आदेशों का क्रियान्वयन 15 दिवस के भीतर तक सुनिश्चित किया जाएगा तथा स्थानांतरण पश्चात् नवीन पदस्थापना स्थान पर निर्धारित अवधि- 15 दिन में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।
- 1.8 स्थानांतरण संबंधी उपरोक्त निर्देशों का पालन कराना कलेक्टर का दायित्व होगा।

## 2. राज्य स्तर पर स्थानांतरण-

- 2.1 राज्य स्तर पर स्थानांतरण दिनांक 10 सितम्बर, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक विभाग द्वारा स्थानांतरण किये जा सकेंगे। इस हेतु विभाग द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
- 2.2 प्रत्येक श्रेणी के स्थानांतरण विभाग के माननीय मंत्रीजी के अनुमोदन से ही किये जा सकेंगे।  
राज्य स्तर पर स्थानांतरण प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 15-15 प्रतिशत तथा तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10-10 प्रतिशत तक स्थानांतरण किये जा सकेंगे।
- 2.3 माननीय विभागीय मंत्रीजी से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु स्थानांतरण प्रस्ताव सीधे विभागाध्यक्ष से माननीय मंत्रीजी को प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे। प्रस्ताव/नस्ती आवश्यक रूप से छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किये गये निर्देश तथा अनुदेश अर्थात् प्रशासकीय विभाग की सचिवालयीन प्रक्रिया अनुसार अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) के माध्यम से ही माननीय विभागीय मंत्रीजी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे और अनुमोदन उपरान्त आदेश तदनुसार विभाग द्वारा प्रसारित किये जाएंगे।
- 2.4 विभागों का यह दायित्व होगा कि यदि अनुसूचित क्षेत्रों के शासकीय सेवक का गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने के प्रस्ताव है, तो उसके एवजीदार का भी प्रस्ताव (जो गैर-अनुसूचित क्षेत्र से हो) अनिवार्यतः रखा जाए। शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्तियों का जो असंतुलन (इम्बैलेंस) है, उसे संतुलित (बैलेंस) करने का विशेष ध्यान रखा जाए। आशय यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्रतिशत



- पद रिक्त है, शहरी क्षेत्रों में लगभग उसी के अनुरूप पद रिक्त रह सकें। ऐसी रिक्ति निर्मित न हो कि शहरी क्षेत्रों में लगभग सभी पद भरे हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रिक्तियाँ बनी रहे।
- 2.5 जिन पदों एवं स्थानों पर अधिकारी/कर्मचारी का आधिक्य है, से स्थानों से स्थानांतरण न्यूनता (Deficit) वाले स्थान हेतु हो। किसी भी परिस्थिति में न्यूनता (Deficit) वाले स्थान से आधिक्य वाले स्थान में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा ताकि संतुलन बना रहे एवं कमी वाले क्षेत्रों में पदों की पूर्ति हो सके।
- 2.6 अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण होने पर उसके स्थान पर एवजीदार के आने के उपरांत ही उसे कार्यमुक्त किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पद भरे जाएं।
- 2.7 छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर एवं सरगुजा संभाग में शासकीय योजनाओं के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर की जाए।
- 2.8 दिव्यांग शासकीय सेवकों की पदस्थापना यथासंभव आवागमन की दृष्टि से सुविधाजनक स्थान पर की जाए।
- 2.9 सामान्यतः स्थानांतरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए। वरिष्ठ अधिकारी का स्थानांतरण कर उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी अथवा अन्य विभाग के अधिकारी को न दिया जाए।
- 2.10 जिन कर्मचारियों की नियुक्ति विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्थानीय निवासी होने के आधार पर जिला विशेष में किये गये हैं, उनका स्थानांतरण उस जिले के बाहर नहीं किया जावेगा। किन्तु अधिसूचित जिलों में परस्पर (आपसी) स्थानांतरण किये जा सकेंगे।
- 2.11 विभागीय सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण आदेश पूर्व परीक्षण आधारित हों और उनका क्रियान्वयन 15 दिवस के भीतर किया जाएगा तथा स्थानांतरण आदेश निरस्त नहीं किये जाएंगे। स्थानांतरण पश्चात् नवीन पदस्थापना स्थान पर निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

## 3 स्कूल शिक्षा विभाग के लिए विशेष उपबंध -

- 3.1 ऐसे स्थानांतरण नहीं किये जायेंगे जिनके फलस्वरूप कोई स्कूल शिक्षक विहीन या एकल शिक्षकीय हो जाये।
- 3.2 ऐसे स्थानांतरण नहीं किये जायेंगे जिनके फलस्वरूप किसी स्कूल में किसी विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या शून्य हो जाये।
- 3.3 ऐसे स्थानांतरण नहीं किये जायेंगे जिनके फलस्वरूप किसी स्कूल में छात्र-शिक्षक अनुपात 40 से अधिक या 20 से कम हो जाये।
- 3.4 अनुसूचित क्षेत्रों से कोई भी स्थानांतरण एवजीदार की पदस्थापना किये बिना नहीं किया जायेगा।



- 3.5 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम स्कूल एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण बिना प्रतिनियुक्ति समाप्त किये नहीं किये जायेंगे।
- 3.6 स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 5 प्रतिशत तक स्थानांतरण किये जा सकेंगे।
- 3.7 ई संवर्ग से टी संवर्ग एवं टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण नहीं किये जायेंगे, अर्थात् अपने-अपने संवर्ग में ही स्थानांतरण किये जा सकेंगे।
- 3.8 ई संवर्ग से टी संवर्ग एवं टी संवर्ग से ई संवर्ग में किये स्थानांतरण शून्य माना जावेगा, अर्थात् उक्त स्थानांतरण प्रभावशील नहीं होंगे।
- 3.9 सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता एवं प्राचार्य संवर्ग के स्थानांतरण के संबंध में शाला विशेष में शैक्षणिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण किया जाएगा। शैक्षणिक व्यवस्था से यहां आशय शाला में कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या, विषयवार शिक्षकों की स्वीकृत पदों की संख्या तथा उसके विषयवार कार्यरत शिक्षकों की संख्या से है। किसी भी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की शालाओं में स्थानांतरण को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

#### विशेष टीप:-

- उपर्युक्त स्थानांतरण अवधि के पश्चात किसी भी प्रकार का स्थानांतरण आदेश यदि निरस्त या संशोधित किया जाना हो तो ऐसे निरस्तीकरण/संशोधन आदेश का प्रस्ताव समन्वय में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा समन्वय में अनुमोदन पश्चात् ही निरस्त/संशोधित किये जा सकेंगे। स्थानांतरण पर छूट की अवधि में जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तथा राज्य स्तर पर भारसाधक सचिव द्वारा विभागीय मंत्री के उपरान्त निरस्त अथवा संशोधन किया जा सकेगा।
- परिवीक्षाधीन अधिकारी/कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जावेगा।
- स्थानांतरित स्थान पर पद रिक्त नहीं होने पर उक्त स्थानांतरण स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा।

#### 4. स्थानांतरण पर प्रतिबंध-

- 4.1 जिला स्तर तथा विभाग स्तर से क्रमशः दिनांक 10 सितंबर, 2022 तथा दिनांक 30 सितंबर, 2022 के पश्चात् स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, किन्तु अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में प्रतिबंध की अवधि में समन्वय में अनुमोदन उपरांत ही स्थानांतरण किया जा सकेगा।
- 4.2 समन्वय में आदेश प्राप्त करने हेतु जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे, उसमें संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तावित होने वाले शासकीय सेवकों के संबंध में संलग्न प्रपत्र में जानकारी दी जावे तथा प्रस्ताव में इस बात का आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाए कि प्रदेश में प्रश्नाधीन श्रेणी के कुल कितने शासकीय सेवक पदस्थ



- 6.5 जिला/शासन स्तर पर जारी स्थानांतरण आदेश तथा क्रियान्वयन की स्थिति को क्रमशः दिनांक 15 सितंबर, 2022 एवं 30 सितंबर, 2022 तक संबंधित जिला/विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जायेंगे।

#### 7. जिला स्तरीय स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन-

स्थानांतरण से व्यथित शासकीय सेवक, स्थानांतरण नीति का उल्लंघन होने पर स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध स्पष्ट आधारों के साथ अपना अभ्यावेदन स्थानांतरण आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर प्रश्नाधीन स्थानांतरण आदेश की प्रति के साथ संबंधित विभाग द्वारा गठित समिति को प्रस्तुत किया जा सकेगा। उक्त समिति में संबंधित भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी होंगे। विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदनुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

#### 8. राज्य स्तरीय स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन-

स्थानांतरण से व्यथित शासकीय सेवक द्वारा अपने स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन स्थानांतरण नीति के उल्लंघन के संबंध में स्पष्ट आधारों के साथ, स्थानांतरण आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर प्रश्नाधीन स्थानांतरण आदेश की प्रति के साथ शासन द्वारा गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के संयोजक एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को 02 प्रतियों में प्रस्तुत किया जा सकेगा। समिति द्वारा ऐसे प्रकरणों का परीक्षण करने के पश्चात् अपनी अनुशंसा संबंधित विभाग को प्रेषित की जाएगी। यह संबंधित विभाग का दायित्व होगा कि प्रकरण में आवश्यकतानुसार समन्वय में विधिवत् अनुमोदन उपरान्त यथोचित आदेश पारित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(डी.डी. सिंह)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग



है, तथा प्रस्तावित स्थानांतरण को सम्मेलित करते हुए कुल कितने स्थानांतरण अब तक हो चुके हैं तथा उसका प्रतिशत कितना है।

### 5. विशेष उपबंध -


निम्न प्रकार की पदस्थापनाओं में अप्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरण निहित अवश्य होता है किन्तु इनके लिए प्रकरण समन्वय में भेजने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी पदस्थापनाएँ संबंधी आदेश वर्ष भर माननीय विभागीय मंत्रीजी के अनुमोदन से जारी किये जा सकेंगे :-

- 5.1 प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर विभाग के अधीन की जाने वाली पदस्थापना, यदि उससे कोई अन्य शासकीय सेवक प्रभावित नहीं होता है।
- 5.2 किसी विभाग के शासकीय सेवक (प्रथम श्रेणी अधिकारियों के मामले को छोड़कर) की सेवाओं को अन्य विभाग/संस्था में प्रतिनियुक्ति या डिप्लायमेंट (एक्स कैडर पदस्थापना) पर सौंपा जाना, यदि दोनों विभाग इसके लिए सहमत हों।
- 5.3 लोक सेवा आयोग से अथवा चयन समिति द्वारा चयनित नई नियुक्ति से संबंधित उम्मीदवारों की रिक्त पदों पर पदस्थापना।
- 5.4 न्यायालय के निर्देश/निर्णय के पालन में स्थानांतरण कर पदस्थापना करना यदि कोई अन्य शासकीय सेवक प्रभावित न होता हो।
- 5.5 पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापना यदि कोई अन्य शासकीय सेवक प्रभावित न होता हो।

### 6. नीति के पालन का दायित्व-

स्थानांतरण संबंधी उपरोक्त नीति/निर्देश का पालन सुनिश्चित हो, उसकी जिम्मेदारी शासन स्तर से जारी स्थानांतरण आदेश के लिए विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव तथा जिला स्तर से जारी स्थानांतरण आदेश हेतु संबंधित कलेक्टर की होगी। वे विशेष रूप से सुनिश्चित करेंगे कि:-

- 6.1 स्थानांतरण आदेश का पालन हो रहा है।
- 6.2 किसी भी स्तर के स्थानांतरण आदेश अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी नहीं किए जायेंगे। अर्थात् स्थानांतरण नीति में उल्लेखित अवधि हेतु जिला स्तर एवं शासन स्तर के स्थानांतरण माननीय प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन उपरांत ही जारी किये जा सकेंगे। समन्वय में होने वाले स्थानांतरण के मामलों में समन्वय में अनुमोदन होने के उपरान्त ही स्थानांतरण किये जा सकेंगे।
- 6.3 समन्वय के प्रकरणों के मामलों में प्रस्ताव/नस्ती आवश्यक रूप से छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किये गये निर्देश तथा अनुदेश अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 6.4 प्रतिबंधित अवधि में समन्वय में जारी होने वाले स्थानांतरण आदेशों में यह उल्लेख आवश्यक रूप से हो कि स्थानांतरण आदेश समन्वय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी किये जा रहे हैं, तथा स्थानांतरण आदेश की प्रतिलिपि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में निहित पृष्ठांकन अनुसार किया जाए।



5

पृ.क्रमांक एफ 1-2/2022/एक/6 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12 अगस्त, 2022  
प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, विलासपुर, छत्तीसगढ़,
2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर,
3. अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
4. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
5. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर,
6. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
9. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, विलासपुर,
10. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, विलासपुर,
11. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
12. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
13. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
14. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़,
15. समस्त जिला कोषालय अधिकारी/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़,
16. संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर,
17. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र एनआईसी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट [www.gad.cg.gov.in](http://www.gad.cg.gov.in) में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
:: मंत्रालय ::  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर  
जिला-रायपुर  
// संशोधित आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.01.2023

क्रमांक एफ 1-21/2022/38-1 :: राज्य शासन, एतद् द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.09.2022 में संशोधन कर निम्नलिखित लिपिकीय वर्ग को तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए कॉलम-6 में स्थानान्तरित कर पदस्थ करता है :-

क.	अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	स्थानान्तरण उपरांत पदस्थापना	संशोधन उपरांत पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रमणी कमलाक्षन	सहायक ग्रेड-1	शासकीय दू.श्री वै. स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय रायपुर, जिला-रायपुर	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा, जिला-बेमेतरा	शासकीय दू.श्री वै. स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय रायपुर, जिला-रायपुर
2	श्री इंदल ध्रुव	सहायक ग्रेड-2	शासकीय डॉ. वा.वा. पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग	शासकीय महाविद्यालय बरपाली, जिला-कोरबा	शासकीय डॉ. वा.वा. पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग
3	श्री योगेश्वर कुमार साहू	सहायक ग्रेड-2	शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव	शासकीय कन्या महाविद्यालय बालोद, जिला-बालोद	शासकीय महाविद्यालय खेरथा, जिला-बालोद
4	श्री संतोष कुमार तिवारी	सहायक ग्रेड-2	शासकीय आदर्श महाविद्यालय, जगदलपुर, जिला-बस्तर	ठाकुर छेदीलाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर-चांपा, जिला-जांजगीर चांपा	शासकीय आदर्श महाविद्यालय, जगदलपुर, जिला-बस्तर



निरंतर.....



5	श्री प्रमोद कुमार जोशी	सहायक ग्रेड-2	दाऊ उत्तम साव शासकीय महाविद्यालय, मचांदुर, जिला-दुर्ग	इंदिरा गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय वैशाली नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग	दाऊ उत्तम साव शासकीय महाविद्यालय, मचांदुर, जिला-दुर्ग
6	श्री कृष्णाकांत यादव	सहायक ग्रेड-2	इंदिरा गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय वैशाली नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग	दाऊ उत्तम साव शास.महा. मचांदुर, जिला-दुर्ग	इंदिरा गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय वैशाली नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग
7	श्री बी.एस. टाकुर	सहायक ग्रेड-3	शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय, बिल्हा जिला-बिलासपुर	शासकीय महाविद्यालय कण्डेल, जिला-धमतरी	शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय, बिल्हा जिला-बिलासपुर

2/ स्थानांतरित कर्मचारी नवीन पदस्थापना स्थल में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3/ उपरोक्त स्थानांतरण के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से समन्वय में अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.ए.निर्मलकर)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.01.2023

क्रमांक एफ 1-21/2022/38-1  
प्रतिलिपि:-

- 1 अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला- रायपुर
  - 2 अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन।
  - 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
  - 4 महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर
  - 5 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, छ.ग. रायपुर।
  - 6 क्षेत्रीय अपर संचालक, संभाग-.....(छ.ग.),
  - 7 संबंधित कलेक्टर, जिला -.....(छ.ग.),
  - 8 संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला-.....(छ.ग.),
  - 9 संबंधित प्राचार्य -.....(छ.ग.),
  - 10 संबंधित कर्मचारी.....(छ.ग.),
- की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।  
11 आदेश फोल्डर



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन  
शैक्षणिक सत्र 2022-23 का अकादमिक कैलेंडर

क्र.	विवरण	तिथियाँ	
1	प्रवेश प्रक्रिया (महाविद्यालय स्तर पर)		
	(क)	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु	16.06.2022 से 16.08.2022 तक
	(ख)	अन्य कक्षाओं हेतु	16.06.2022 से 15.07.2022 या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त 10 दिन के भीतर
(ग)	प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से		
2	कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि	26 अगस्त, 2022 तक	
3	नियमित कक्षाएँ प्रारंभ	01.07.2022 से	
4	वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन	11 मार्च, 2023 से 01 मई, 2023	
5	सभी वार्षिक परीक्षा परिणामों की घोषणा	16.06.2023 तक	
6	पुनर्मूल्यांकन के सभी परिणामों की घोषणा	31.08.2023 तक	
7	पूरक परीक्षा का आयोजन	न्यूनतम समय में	
8	पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा	31.10.2023 तक	
9	छात्रसंघ गतिविधियाँ		
(क)	छात्रसंघ गठन प्रक्रिया एवं शपथ ग्रहण	03.09.2022 से 09.09.2022 छात्रसंघ गठन हेतु चुनाव/मनोनयन, शासन के निर्देशानुसार	
10	खेलकूद एवं सांस्कृतिक, गतिविधियाँ :-		
(क)	खेलकूद प्रतिस्पर्धा प्रारंभ (इंडोर आउटडोर)	18.07.2022 से	
(ख)	खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन (इंडोर आउटडोर)	20.12.2022 तक	
(ग)	महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर आउटडोर) का वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार वितरण	21, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2022 में से कोई दो दिन	
11	एन सी.सी. / एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियाँ :-		
(क)	वृक्षारोपण कार्यक्रम	जुलाई, 2022 के द्वितीय सप्ताह	
(ख)	महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन	21, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2022 में से कोई एक दिन	
(ग)	एनसीसी/एनएसएस कैम्प का आयोजन	24.12.2022 से 31.12.2022 तक	
(घ)	दीक्षान्त समारोह	जनवरी-फरवरी, 2023	


अवर सचिव

अवर सचिव

अवर सचिव

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी  
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)



विवरण		तिथियाँ
अवकाश		
(अ)	दशहरा अवकाश (3 दिन)	03.10.2022 से 05.10.2022 तक
(ब)	दीपावली अवकाश (3 दिन)	24.10.2022 से 26.10.2022 तक
(स)	शीतकालीन अवकाश (3 दिन)	24.12.2022 से 26.12.2022 तक
(द)	ग्रीष्मकालीन अवकाश (1 माह)	16.05.2023 से 15.06.2023 तक
13	आंतरिक परीक्षाओं का कार्यक्रम	
1	प्रथम यूनिट परीक्षा	01.09.2022
2	द्वितीय यूनिट परीक्षा	30.09.2022
3	तृतीय यूनिट परीक्षा	05.11.2022
4	प्रथम सत्र/सेमेस्टर परीक्षा	24, 25, 26 नवम्बर, 2022
5	चतुर्थ यूनिट परीक्षा	19.12.2022
6	द्वितीय सत्र/सेमेस्टर परीक्षा	28, 29, 30 दिसम्बर, 2022
7	प्री- फाइनल परीक्षा	27, 28, 30 जनवरी, 2023
14	वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम	
1	वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन	माह फरवरी, 2023
2	वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन	मार्च, 2023 प्रथम सप्ताह से

नोट:- अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की स्थिति में समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाए ताकि अकादमिक कैलेंडर का पालन सुनिश्चित हो।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता :-

1. प्रत्येक विषय में ऑफलाइन कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. कुल 7 आंतरिक परीक्षाओं कक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना अनिवार्य है बिना इसके वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाये।
3. एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जाये।
4. कक्षाओं में उपस्थिति की प्रथम गणना 30 नवम्बर तक की जाये।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालकों को सूचना दी जाये।
6. कक्षाओं में उपस्थिति की द्वितीय गणना 28 फरवरी तक की जाये।

अनुभाग अधिकारी  
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
अटल नगर, नया दिल्ली (छ.ग.)



(सेमेस्टर कक्षाओं के लिए)


अकादमिक कार्य	स्नातक/स्नातकोत्तर (III/IV/VII/IX सेमेस्टर)	स्नातक/स्नातकोत्तर (III/IV/VI/VIII/X सेमेस्टर)
प्रवेश प्रक्रिया	16 जून से 30 जून, 2022	-
कक्षाओं का आरम्भ	1 जुलाई, 2022	16 जनवरी, 2023
प्रायोगिक परीक्षाएँ	24 नवम्बर, 2022 से	24 अप्रैल, 2023 से
परीक्षा पूर्व तैयारी	25 नवम्बर, 2022 से 10 दिसम्बर, 2022 तक	25 अप्रैल, 2023 से 10 मई, 2023 तक
लिखित परीक्षाएँ	11 दिसम्बर, 2022 से	11 मई, 2023 से
परीक्षा परिणाम	15 जनवरी, 2023	15 जून, 2023

शिक्षक के कर्तव्य एवं निर्देश

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में 07 घण्टे रुकना आवश्यक होगा।

1. प्रातः कालीन पाली के लिए - प्रातः 07:30 से 02:30 अपरान्ह
2. द्वितीय कालीन पाली के लिए - प्रातः 10:30 से 05:30 संध्या
3. 07 घण्टे का कार्य विवरण -  
6 घण्टे अध्ययन-अध्यापन कार्य (प्रायोगिक, द्यूटोरियल, रेमेडियल, शोधकार्य, लाईब्रेरी वर्क शामिल है।)  
1 घण्टा अन्य कार्य (खेलकूद, रिक्रियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य, विद्यार्थियों का शंका समाधान, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्य)
4. समस्त प्रकार की बैठक/स्टॉफ कौंसिल की बैठक दोपहर 03:00 बजे के पश्चात् आयोजित की जाये।
5. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन एवं मूल्यांकन से संबंधित कार्य का अनिवार्यतः निष्पादन करेंगे।
6. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हेल्प डेस्क का गठन कर विद्यार्थियों को वांछित जानकारीयों प्रदान करेंगे।

अनुभाग अधिकारी  
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
अटल नगर, नया दिल्ली (छ.ग.)



यदि पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ है तो पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अद्यापन हेतु महाविद्यालय स्तर पर कालखण्ड में यथोचित समय वृद्धि की जाये।

8. आवश्यकता पड़ने पर अध्ययन-अध्यापन की पद्धति में सूचना प्रौद्योगिकी का यथोचित विस्तार किया जाये।

09 *Dumyati* 000 *R.P.*

*SL*



*Dumyati*  
अनुभाग अधिकारी  
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)